उत्तराखण्ड प्रादेशिक को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, देहरादून में वित्तीय वर्ष 2026–27, 2027–28 हेतु ट्रेवल फर्मो के इम्पेनलमेन्ट/सूचीबद्ध किये जाने हेतु आवश्यक नियम व शर्तेः–

1. पात्रता की शर्तें
   - आवेदक फर्म/कम्पनी भारत में विधिवत पंजीकृत हो तथा उसके पास वैध GST एवं PAN पंजीकरण हो।
   - यात्रा व्यवसाय में न्यूनतम 3 वर्षों से अधिक अनुभवी फर्म को वरियता प्रदान की जायेगी।
   - केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों, PSU, सहकारी निकायों अथवा स्वायत्त संस्थाओं को यात्रा सेवाएं प्रदान करने का अनुभव आवश्यक है, इस आशय के कार्यादेश/एम्पैनलमेंट पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - विगत वर्षों का वार्षिक टर्नओवर न्यूनतम ₹25 लाख हो (CA–प्रमाणित)।
   - आवेदक किसी भी सरकारी/अर्ध–सरकारी/सहकारी संस्था द्वारा कालीसूचीबद्ध (Blacklisted) न हो।
   - यदि संस्था का मुख्य कार्यालय अन्य राज्य में होने की स्थिति में यदि कोई शाखा उत्तराखण्ड राज्य अथवा देहरादून में है तो उसके सम्बन्ध में उल्लेख करें।
   - फर्म को राज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भ्रमण कराने सम्बन्धी अनुभव अनिवार्य हो।

2. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
   - फर्म/कम्पनी का पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   - वैध GST एवं PAN पंजीकरण प्रमाण–पत्र।
   - विगत 3 वर्षों के Audited Balance Sheet एवं CA–प्रमाणित टर्नओवर प्रमाण–पत्र।
   - भ्रमण फर्म द्वारा उत्तराखण्ड राज्य अथवा उत्तराखण्ड राज्य के बाहर सरकारी/PSU/सहकारी संस्थाओं को प्रदत्त सेवाओं के कार्यादेश/एम्पैनलमेंट पत्रों की सूची एवं प्रतिलिपि।
   - काली–सूची (Black List) में न होने सम्बन्धी स्व–घोषणा–पत्र (Self&Declaration), फर्म की लेटरहेड पर हस्ताक्षर एवं मुहरबन्द।
   - रद्द चेक (Cancelled Cheque)/बैंक खाता विवरण।
   - ₹20000/– (अप्रतिदेय) आवेदन शुल्क – डिमाण्ड ड्राफ्ट उत्तराखण्ड प्रादेशिक को–ऑपरेटिव यूनियन लि0, देहरादून के पक्ष में देय हो।